[2021] 8 एस.सी.आर. 501

लाला @अनुराग प्रकाश आसरे

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 540)

24 अगस्त 2021

[संजय किशन कौल और

हृषिकेश रॉय, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860: एस.एस. 302, 120 बी, 147, 148 और 324 - मौत का कारण बनने के सामान्य उद्देश्य के साथ गैरकानूनी सभा - अभियोजन पक्ष का मामला जो पक्षों के बीच विवाद है - तेज धार वाले हथियारों से लैस 10-12 व्यक्तियों द्वारा पीड़ित पर घातक हमला - पीड़ित ने बाद में दम तोड़ दिया - मुखबिर भी लगातार चोटें - घायल मुखबिर द्वारा एफआईआर जिसमें छह आरोपियों का नाम दिया गया है, हालांकि अपीलकर्ता का नाम नहीं है लेकिन उसका शारीरिक विवरण दिया गया है - धारा के तहत पूरक बयान में। 161 सीआरपीसी अपीलकर्ता की पहचान नाम से की गई - अपीलकर्ता सहित आरोपियों की दोषसिद्धि और सजा। 302, 120 बी, 147, 148 और 324 - उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया - हस्तक्षेप - आयोजित: नहीं बुलाया गया - हालांकि अपीलकर्ता के नाम पर एफआईआर चुप है, अभियोजन मामले को उसके आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, जब अन्य विश्वसनीय सबूत उपलब्ध हों - बोलचाल की भाषा भिन्नता भी पहचान को अविश्वसनीय नहीं बनाएगी - अपीलकर्ता के लिए परीक्षण पहचान परेड-टीआईपी अनावश्यक थी क्योंकि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा उसे विशेष रूप से उस व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था जिसने तलवार लहराई थी और चोटें पहुंचाई थीं - टीआईपी का संचालन करने में विफलता उसकी सजा को ख़राब नहीं करेगी - हमलावर समूह के सदस्यों में से एक के रूप में अपीलकर्ता की पहचान और हमले में उसकी विशिष्ट भूमिका संदेह से परे स्थापित की गई - अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के हमले में सभी आरोपियों की साजिश का हिस्सा होने के ठोस सबूत पेश किए, जिसके कारण पीड़ित की मृत्यु हो गई और मुखबिर और अन्य को चोटें - साक्ष्य - प्रथम सूचना रिपोर्ट - परीक्षण पहचान परेड।

आपराधिक व्यवहार के मसौदा नियम, 2021: आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तताओं और कमियों के संबंध में दिशानिर्देश - तथ्यों पर, दोनों पक्षों के प्रक्षेपण में बयानों और बयानों के कई संस्करणों द्वारा बनाया गया भ्रम - दिशानिर्देशों का संदर्भ - की आवश्यकता।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 घायल मुखबिर द्वारा अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में नहीं था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता को उसी व्यक्ति से जोड़ने की कोशिश की, जिसे एफआईआर में 'लंबी नाक वाला ऊंचा व्यक्ति' बताया गया था। यह PW1, PW2, PW4, PW6 के साक्ष्य के माध्यम से किया गया है जैसा कि यहां दर्ज किया गया है।[पैरा 12]

1.2 अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क कि आरोपी की नाम से पहचान करने वाले पूरक बयान नीचे की अदालतों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे, पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरोपी की पहचान करने वाला PW1 का बयान सत्र न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था। यह भी प्रशंसनीय है कि लाला उपनाम वाले आरोपी को गवाहों द्वारा 'लाल्या' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। पहचान को अविश्वसनीय बनाने के लिए बोलचाल की भिन्नता को अब तक नहीं हटाया गया है, खासकर जब आरोपी समूह में इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति न हो।[पैरा 13]

1.3. हालांकि यह सच है कि एफआईआर में अपीलकर्ता के नाम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन यह अदालत ऐसे आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह खारिज नहीं कर सकती क्योंकि मामले में अन्य विश्वसनीय सबूत उपलब्ध हैं। एफआईआर निश्चित रूप से जांच का शुरुआती बिंदु है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है और आरोपी व्यक्ति की विशिष्ट भूमिकाओं का पता चलता है, गवाहों के बयान देना अभियोजन पक्ष के अधिकार में है। जैसा कि ज्ञात है, एफआईआर केवल जांच मशीनरी को सक्रिय करती है।[पैरा 14]

1.4. तत्काल मामले में, दो अदालतों ने समवर्ती रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उसे बरी करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसे विशेष रूप से पीडब्लू 2, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 6 द्वारा पहचाना गया था। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा उसकी सकारात्मक पहचान के मद्देनजर, टीआईपी नहीं कराए जाने को महत्वहीन माना गया। यहां चश्मदीद गवाहों ने अपीलकर्ता को वही विशिष्ट भूमिका बताई है और घटनाओं को बिना किसी महत्वपूर्ण विसंगतियों के उसी कालानुक्रम में बताया है। इसके अलावा, इस मामले में कई लोग एक समूह में घातक हथियारों के साथ हमला कर रहे हैं और चश्मदीदों द्वारा हर मिनट के विवरण को याद रखने की उम्मीद करना उचित नहीं है।[पैरा 15]

1.5. मौजूदा मामले में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अनावश्यक थी क्योंकि अपीलकर्ता की पहचान गवाहों को पता थी और उसे विशेष रूप से पीडब्लू1 और पीडब्लू2 द्वारा उस व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था जिसने तलवार लहराई थी और चोटें पहुंचाई थीं। चश्मदीद गवाहों की गवाही में नाम के आधार पर अपीलकर्ता की ऐसी पहचान के सामने, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता के लिए टीआईपी आयोजित करने में विफलता उसकी सजा को प्रभावित नहीं करेगी।[पैरा 17]

1.6. हमलावर समूह के सदस्यों में से एक के रूप में अपीलकर्ता की पहचान और हमले में उसकी विशिष्ट भूमिका संदेह से परे स्थापित है। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के हमले के सभी आरोपियों की साजिश का हिस्सा होने के ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसके कारण पीड़ित की मौत हो गई और पीडब्ल्यू 1 और अन्य घायल हो गए। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता की सजा को, जैसा कि उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, गलत नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के आक्षेप निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।[पैरा 18,19]

मुंशी सिंह गौतम बनाम म.प्र. राज्य **(2005) 9 एससीसी 631: [2004] 5 पूरक। एससीआर 1092 - पर निर्भर।**

पुनः:आपराधिक मुकदमों में अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए **'सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या 1/2017 - संदर्भित।**

केस कानून संदर्भ

[2004] 5 पूरक एससीआर 1092 पैरा 17 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 540।

2011 की आपराधिक अपील संख्या 236 में नागपुर बेंच, नागपुर में बॉम्बे के न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 09.05.2014 से।

हुज़ेफ़ा अहमदी, वरिष्ठ वकील, सत्यजीत ए.देसाई, सुश्री अनघा एस.देसाई,

मेसर्स लाम्बट के लिए सत्य काम शर्मा, शुभम सिंह, किशोर लाम्बट और एसोसिएट्स, सलाहकार अपीलकर्ता के लिए.

सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, सलाहकार प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हृषिकेश रॉय, जे.

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील श्री हुज़ेफ़ा अहमदी को सुना गया। प्रतिवादी, महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व विद्वान एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री सचिन पाटिल द्वारा किया जाता है।

2. वर्तमान अपील दिनांक 09.05.2014 के अनुरूप निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत, अन्य बातों के अलावा, सी.आर.एल. अपील संख्या 236/2011 को खारिज कर दिया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी, 147, 148 और धारा 324 के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा गया।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार, 22.01.2009 को रात लगभग 9.45 बजे, मृतक बालू मंडपे अपने घर के सामने एक गली के कोने पर अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। उसी समय दुपहिया वाहनों पर 10/12 लोग वहां पहुंचे और बालू के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद समूह ने तलवार, चाकू, खंजर और फरसा जैसे तेज धार वाले हथियारों से बालू पर हमला करना शुरू कर दिया और गंभीर चोटें पहुंचाने के बाद हमलावर वहां से चले गए। बालू को गंभीर चोटें आईं। घटना के कुछ ही मिनटों के भीतर, अरुण पोहनकर, जो हमले में घायल हो गए थे, ने घटना की सूचना इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन को दी, जहां कई हमलावरों के नाम बताए गए या उनका हुलिया बताया गया। दोस्त घायल बालू को पास के मेडिकल अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एफआईआर में, PW1 ने वर्तमान अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था, लेकिन कुणाल टैगडे (A1), विनोद ठाकरे (A2), राजपूत @ नबुत (A3), सचिन इंगले (A4), अमीत गुजर (A5), शेखर @ हुस्न्या का नाम लिया था। (ए8) बड़े समूह में हमलावरों में से एक का उसकी बनावट और शक्ल-सूरत से वर्णन करना। शिकायत के आधार पर अपराध संख्या 6/2009 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 302, 120बी के तहत दर्ज किया गया था। पुलिस जांच शुरू हुई, और जांच अधिकारी (आईओ) (पीडब्लू11) ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और स्पॉट पंचनामा तैयार किया और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के समापन पर, आरोप पत्र दायर किया गया और उसके बाद, मामला नागपुर के सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। अपीलकर्ता लाला उर्फ अनुराग प्रकाश आसरे सहित नौ आरोपियों को सत्र परीक्षण संख्या में मुकदमे का सामना करना पड़ा। 232/2009 आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 324, 120बी से संबंधित अपराधों के लिए तैयार किए गए आरोपों पर। अभियुक्त का बचाव पूर्ण इनकार में से एक है।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए, और अन्य सबूत पेश किए। हालाँकि, किसी भी आरोपी ने गवाह बॉक्स में प्रवेश नहीं किया या कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्तों ने बालू मंडपे की मृत्यु के सामान्य उद्देश्य से एक गैरकानूनी सभा का गठन किया था, और उस पर तेज और खतरनाक हथियारों से हमला किया था। ट्रायल कोर्ट के अनुसार, वर्तमान अपीलकर्ता जो मूल अभियुक्त नंबर 6 था, ने मुखबिर अरुण (पीडब्लू 1) पर तलवार से हमला किया। तदनुसार, अपीलकर्ता को अन्य लोगों के साथ आईपीसी की धारा 302, 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा, डिफ़ॉल्ट रूप से 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अपीलकर्ता सहित आरोपियों को भी आईपीसी की धारा 147, 148 के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता/अभियुक्त नंबर 6 को अतिरिक्त रूप से आईपीसी की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया गया है और तीन साल के लिए कठोर कारावास और 2000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है, अन्यथा 6 महीने के लिए साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी मूल वाक्य एक साथ चलने थे।

5. दोषी अभियुक्तों द्वारा तब चार आपराधिक अपीलें दायर की गईं, जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा दायर सीआरएल अपील संख्या 236/2011 भी शामिल थी। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घायल मुखबिर ने छह हमलावरों का नाम लेते हुए एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम नहीं लिया था। एफआईआर के मुताबिक, जब अरुण (पीडब्लू1) ने बालू मंडपे को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया था, तो *"लंबी नाक वाले एक लंबे व्यक्ति ने तलवार से हमला किया"*। जब मुखबिर अरुण (PW1) ने अपने हाथ से इसका विरोध किया, तो उसके बाएं हाथ की कलाई क्षेत्र में तलवार से चोट लग गई। एफआईआर में दर्ज बाकी 6 आरोपियों ने चाकू, खंजर और फरसा ले रखा था.

6. यह घटना जाहिर तौर पर दो समूहों के बीच विवाद का नतीजा थी। अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों की दोषसिद्धि पर ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय दोनों के निष्कर्ष मुख्य रूप से 4 चश्मदीदों के नेत्र साक्ष्य पर निर्भर हैं। अपीलकर्ता के विद्वान वकील सबसे पहले यह तर्क देंगे कि अपीलकर्ता एफआईआर में छह नामित और अन्य आरोपियों में से नहीं था। इसके अलावा, चूंकि अभियोजन पक्ष ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) की व्यवस्था नहीं की थी, इसलिए अपीलकर्ता की पहचान हमले में शामिल अज्ञात व्यक्तियों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हुई है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील का तर्क है कि सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पुलिस द्वारा तुरंत दर्ज किए गए पूरक बयान में मुखबिर द्वारा अपीलकर्ता का विशेष रूप से नाम

लिया गया था। उनका आगे यह कहना है कि PW2, PW4, PW6 ने भी अपने S.161 बयान में अपीलकर्ता का नाम लिया है। राज्य के वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 324 के तहत एक विशिष्ट आरोप वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ तय किया गया है, जिसने मुखबिर (पीडब्लू1) पर तलवार से वार किया था। इसलिए, वकील का तर्क है कि घटना में अपीलकर्ता की संलिप्तता और हमलावरों में से एक होना संदेह से परे है क्योंकि सभी गवाहों ने उसकी पहचान की थी और अपीलकर्ता के लिए टीआईपी आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

8. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, हमें अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ प्रस्तुत किए गए सबूतों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। हालाँकि, शुरुआत में, हम इस मामले के विभिन्न चरणों में प्रस्तुत की गई एफआईआर, गवाहों के बयानों और पूरक बयानों के संबंध में कुछ त्रुटियों (टाइपोग्राफ़िक या अन्यथा) पर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं। संबंधित वकील द्वारा न्यायालय को सौंपे जाने पर इन दस्तावेज़ों में या तो अनुवाद या प्रतिलेखन में भिन्नता होती है।

9. उपरोक्त संदर्भ में, हम सुओ मोटो रिट (सीआरएल) संख्या 1/2017 में इस न्यायालय के निर्देशों पर अधिसूचित *आपराधिक अभ्यास के मसौदा नियमों,* 2021 का हवाला देकर लाभान्वित हो सकते हैं: *अपर्याप्तता और कमियों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए आपराधिक मुकदमों में'.* दोनों पक्षों के प्रक्षेपण में बयानों और बयानों के कई संस्करणों द्वारा पैदा किया गया भ्रम हमें इन दिशानिर्देशों को संदर्भित करने की आवश्यकता को दोहराने के लिए मजबूर कर रहा है। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 20.04.2021 उन सटीक चिंताओं को दर्शाता है जिनका हमने प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना करते समय सामना किया है,

> "अदालत ने आपराधिक मुकदमों के दौरान होने वाली सामान्य कमियों पर ध्यान दिया... ये अन्य बातों के अलावा, दस्तावेजों (यानी गवाहों की सूची, प्रदर्शनों की सूची, भौतिक वस्तुओं की सूची) को प्रस्तुत करने और प्रदर्शित करने के तरीके से संबंधित हैं।" निर्णय, और चोट की रिपोर्ट तैयार करने, गवाहों के बयान, बयानों का अनुवाद, गवाहों की संख्या और नामकरण, भौतिक वस्तुओं की लेबलिंग आदि के संबंध में समान प्रथाओं की कमी। इससे अक्सर विषमताएं पैदा होती हैं और साक्ष्य की सराहना में बाधा आती है। जिसके परिणामस्वरूप कार्यवाही को लम्बा खींचने की प्रवृत्ति होती है, विशेषकर अपीलीय चरणों में।"

मसौदा नियम यह भी तय करते हैं कि बयानों का अनुवाद किस प्रकार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रासंगिक दस्तावेज़ का अनुवाद करने की प्रथा विभिन्न मंचों और प्रस्तुतियों में पार्टियों द्वारा साक्ष्य पर गंभीर आक्षेप लगाने के लिए इतनी महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं होनी चाहिए,

जिसकी अन्यथा आवश्यकता नहीं हो सकती है। किसी आरोपी का नाम बताने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बोलचाल के शब्दों की विचित्रता, किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने और बरी किए जाने के बीच अंतर हो सकती है।

10. ऊपर से संकेत लेते हुए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सही तथ्यों और दस्तावेजों पर भरोसा करते हैं, हमने इस फैसले के लिए संबंधित मूल ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड्स को पढ़ा और उन पर भरोसा किया। यह रिकॉर्ड करना महत्वपूर्ण है कि भिन्नता आरोपियों की पहचान के कुछ पहलुओं तक फैली हुई है और इस तरह किसी भी भ्रम से बचने के लिए, हमने मूल रिकॉर्ड में दिखाई देने वाली सामग्रियों पर विशेष रूप से भरोसा किया है।

11. सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार एफआईआर की प्रासंगिक सामग्री (प्रदर्श 103), इस प्रकार पढ़ें:

> ".....लंबी नाक वाले एक लंबे व्यक्ति ने तलवार से हमला किया और मैंने अपनी बांह से हमला किया। परिणामस्वरूप, मेरी बाईं कलाई के पास चोट लग गई। शेष व्यक्तियों में से, मैं जानता हूं 1) विनोद (उपनाम ज्ञात नहीं) जिसके पास चाकू था, 2) अमित गुजर जिसके पास चाकू था, 3) कुणाल जिसके पास चाकू था, 4) भीम्या का भाई हुस्न्या जिसके पास खंजर था। 5) सचिन जिसके हाथ में तलवार थी, और 6) नबूत जिसके हाथ में फरसा (युद्ध-कुल्हाड़ी) था। उन्होंने पांच-छह लोगों के साथ मिलकर बालू की छाती पर वार कर उसे मार डाला..."

11.1 मुखबिर अरुण (पीडब्लू1) ने अपनी गवाही में बताया कि *"मजबूत शरीर वाले एक व्यक्ति ने बालू मंडपे पर तलवार से हमला करने की कोशिश की और उस समय मैंने हस्तक्षेप किया और तलवार का वार मेरी बायीं कलाई पर लगा। मुझे चोट लगने से खून बह रहा है...मैं मजबूत कदकाठी वाले उस व्यक्ति को पहचान सकता हूं जिसने बालू मंडपे पर तलवार से हमला करने की कोशिश की और जब मैंने हस्तक्षेप किया तो वह झटका मेरी कलाई पर लगा।'* तदनुसार, ट्रायल कोर्ट ने दर्ज किया कि *"गवाह अभियुक्तों के पास गया और अन्य अभियुक्तों के बीच मजबूत शरीर वाले व्यक्ति की पहचान की। उसका नाम लाला असारे है।"* अपनी जिरह में, PW1 ने कहा कि पहला झटका लाला असारे (अभियुक्त नंबर 6) द्वारा दिया गया था और हालांकि उसने पुलिस को भी यही बताया था, वह यह कहने में असमर्थ है कि पुलिस एफआईआर में अपीलकर्ता का नाम दर्ज करने में क्यों विफल रही। . आगे कहा गया है, कि *"मजबूत कद-काठी वाले एक व्यक्ति"* ने बालू मंडपे पर तलवार से हमला करने की कोशिश की, लेकिन गवाह इस बात का कोई कारण नहीं बता सकता कि उसकी एफआईआर में *"मजबूत कद-काठी"* शब्द का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है।

11.2 अपीलकर्ता के वर्णन में इस तरह की भिन्नता महत्वपूर्ण होने के कारण विशिष्ट चर्चा होगी। जबकि 22.01.2009 की एफआईआर में हमारे समक्ष अपीलकर्ता लाला के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, बयान 23.01.2009 को घटना के कुछ घंटों के भीतर (लेकिन तकनीकी रूप से अगले दिन आधी रात के बाद) दर्ज किया गया था, जैसा कि नोट किया गया है ट्रायल कोर्ट में निम्नलिखित विवरण है, *"लंबी नाक वाले एक गोरे रंग के व्यक्ति, जिसका नाम 'लाल्या' है, ने तलवार से हमला किया और मैंने अपनी बांह से वार को रोक दिया।"* इसके अलावा राज्य द्वारा प्रस्तुत सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पूरक बयान में हमलावर की नाम से पहचान भी की गई है, *"लाल्या नाम के एक उग्र, सफेद रंग के लड़के ने मुझ पर तलवार से हमला किया"*।

11.3 धर्मेंद्र अशोक यादव (पीडब्लू2) ने अपनी गवाही में कहा कि *"लंबे कद और लंबी नाक वाला एक व्यक्ति, जिसका नाम लाला था, तलवार से लैस था। उसने बालू मंडपे पर तलवार से हमला करने की कोशिश की. अरुण पोहनकर ने हस्तक्षेप किया. तलवार का वार बायीं कलाई पर लगा। उसे खून बहने की चोट लगी थी और वह पीछे हट गया। हम भी डरकर पीछे हट गये। तभी लाला ने बालू मंडपे पर तलवार से हमला कर दिया. उसके सिर पर चोट लगी और इस वजह से वह नीचे गिर गया।"* अपनी जिरह में PW2 ने कहा कि वह तलवार रखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं जानता। हालाँकि, जब उसे आरोपी नंबर 6 को दिखाया गया, तो वह उसे लाला आसरे के रूप में पहचान सका, लेकिन पीडब्लू2 इस बात का कोई कारण बताने में असमर्थ है कि पुलिस को दिए गए उसके बयान में इसे दर्ज क्यों नहीं किया गया है।

11.4 ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की मिनट की जांच से पता चलता है कि 23.01.2009 का बयान केवल भौतिक विवरण के बारे में नहीं है। PW2 ने इसके बजाय नोट किया है कि *"लाल्या नाम के एक व्यक्ति ने उस पर तलवार से वार किया"*। 31.01.2009 को दर्ज धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीडब्लू2 का बयान हमले का स्पष्ट क्रम और अपीलकर्ता की विशिष्ट भूमिका बताता है। गवाह को याद है कि *"लाला ने अपनी तलवार लहराई जो अरुण के हाथ पर लगी। लाला ने हम पर भी तलवार लहराई"*। राज्य द्वारा पेश किए गए पूरक बयान में निम्नलिखित पहचान शामिल है *"एक लम्बा, सफेद रंग का लड़का जिसका नाम लाल्या है"*।

11.5 तीसरे प्रत्यक्षदर्शी सुधांशु जाधव राव वारडे (पीडब्लू4) ने घटना स्थल पर अपनी उपस्थिति और घायल बालू मंडपे को 5 मिनट के भीतर अस्पताल ले जाने का उल्लेख किया। PW4 के अनुसार, उन्होंने पुलिस को सूचित किया था कि लाला उर्फ अनुराग आसरे ने बालू मंडपे पर तलवार से हमला किया था, जिसके कारण बालू गिर गया। PW4 का बयान 22.01.2009 को इमामवाड़ा पी.एस. में दर्ज किया गया। लाला का नाम न लेते हुए सिर्फ तीन आरोपियों के नाम बताए। हालाँकि, 24.02.2009 को दर्ज धारा 164 के तहत उनके बयान में घटना का विस्तृत

विवरण शामिल है, और विशेष रूप से अपीलकर्ता को उसके वास्तविक नाम और उसके उपनाम से पहचाना जाता है। उन्होंने उसमें कहा है कि *"उनमें से एक अनुराग उर्फ लाला आसरे ने बालू उर्फ सत्येन्द्र पर तलवार से वार कर दिया. अरुण पोहनकर ने तलवार के उक्त वार को रोका।"*

11.6 चौथा चश्मदीद गवाह राजू मनोहर जोशी (पीडब्लू6) था। अपनी गवाही में उन्होंने अपीलकर्ता और अन्य अभियुक्तों की उपस्थिति के बारे में उल्लेख किया लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके बारे में अनभिज्ञता जताई। तदनुसार, चूंकि पीडब्लू4 अभियोजन मामले का समर्थन नहीं कर रहा था, इसलिए सहायक लोक अभियोजक द्वारा उससे जिरह की गई। अपनी जिरह में, PW6 ने उल्लेख किया कि लाला आसरे और सचिन इंगले को छोड़कर, अन्य सभी आरोपी चंदन नगर के निवासी हैं। इसके अलावा, वह पिछले डेढ़ साल से लाला आसरे और सचिन इंगले दोनों को जानता था। अभियुक्त 5,6,7 के वकील की ओर से अपनी जिरह में, पीडब्लू6 ने कहा कि, हालांकि उन्होंने घटना देखी थी, लेकिन उन्होंने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया।

11.7 मामले में जांच अधिकारी सुनील एस मोंडे (पीडब्लू11) थे, जो घटना की तारीख पर इमामवाड़ा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के रूप में तैनात थे। पीडब्लू11 ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता का पूरक बयान दर्ज किया और अपनी जिरह में स्वीकार किया कि तत्काल मामले में आरोपी व्यक्तियों की टीआईपी नहीं की गई थी। पूरक बयान के मुद्दे पर, आईओ ने अपनी जिरह में गवाही दी कि *"मैंने शिकायतकर्ता अरुण पोहनकर का पूरक बयान दर्ज नहीं किया था"*। आईओ ने यह भी कहा था कि उन्होंने पीडब्लू2 का बयान सच्चाई से दर्ज किया था। अभियुक्त संख्या 5-7 की ओर से वकील द्वारा अपनी जिरह में, आईओ ने निम्नलिखित कहा, *"मैंने पीडब्लू2 धर्मेंद्र यादव का बयान दर्ज किया है...पीडब्लू2 ने मेरे सामने यह नहीं कहा है कि लाला आसरे नाम के एक व्यक्ति ने तलवार से हमला किया गया...PW2 ने मेरे सामने यह नहीं कहा है कि लाला ने बालू मंडपे पर हमला करने की कोशिश की थी।"* अपनी आगे की जिरह में, IO ने कहा कि PW6 लाला आसरे को जानता था, लेकिन घटना के दिन IO के सामने PW6 ने अपने बयान में यह नहीं कहा था कि लाला आसरे बालू मंडपे की ओर दौड़ा और उस पर हथियारों से हमला किया।

12. इस अपील में तय किया जाने वाला मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता की पहचान तलवार चलाने वाले व्यक्ति के रूप में की गई थी जिसने मुखबिर (पीडब्ल्यू 1) और मृतक बालू मंडपे को भी तलवार से वार किया था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता का नाम घायल मुखबिर द्वारा एफआईआर में नहीं दिया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता को उस व्यक्ति के साथ सहसंबंधित करने का प्रयास करता है जिसे एफआईआर में 'लंबी नाक

वाला ऊंचा व्यक्ति' के रूप में वर्णित किया गया था। यह PW1, PW2, P4, PW6 के साक्ष्य के माध्यम से किया गया है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में दर्ज किया गया है।

13. उपरोक्त संदर्भ में, अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क कि अभियुक्तों की नाम से पहचान करने वाले पूरक बयान नीचे के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए थे, पूरी तरह से सही प्रतीत नहीं होता है। ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, स्पष्ट रूप से बताता है कि अरुण (पीडब्लू1) का दिनांक 23.01.2009 का बयान, जिसमें नाम से आरोपी की पहचान की गई थी, सत्र न्यायालय के समक्ष उपलब्ध था। यह भी प्रशंसनीय है कि लाला उपनाम वाले आरोपी को गवाहों द्वारा 'लाल्या' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। हमारी राय में, बोलचाल की भिन्नता को अभी तक हटाया नहीं गया है, जिससे पहचान अविश्वसनीय हो जाए, खासकर तब जब आरोपी समूह में ऐसे नाम का कोई अन्य व्यक्ति न हो। नाम में वास्तव में बहुत कुछ है, जैसा कि इस मामले में है, अगर हम बार्ड ऑफ एवन द्वारा लिखी गई सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों में से एक, *"व्हाट्स इन ए नेम"* से असहमत होने की स्वतंत्रता ले सकते हैं।

14. हालांकि यह सच है कि एफआईआर में अपीलकर्ता के नाम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, हम ऐसे आधार पर अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते क्योंकि मामले में अन्य विश्वसनीय सबूत उपलब्ध हैं। एफआईआर निश्चित रूप से जांच का शुरुआती बिंदु है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है और आरोपी व्यक्तियों की विशिष्ट भूमिकाओं का पता चलता है, गवाहों के बयान देना अभियोजन पक्ष के अधिकार में है। जैसा कि ज्ञात है, एफआईआर केवल जांच मशीनरी को सक्रिय करती है।

15. वर्तमान मामले में, दो अदालतों ने समवर्ती रूप से निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता का नाम एफआईआर में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, उसे बरी करना उचित नहीं होगा क्योंकि उसे विशेष रूप से पीडब्लू 2, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 6 द्वारा पहचाना गया था। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा उसकी सकारात्मक पहचान के मद्देनजर, टीआईपी नहीं कराए जाने को महत्वहीन माना गया। यहां चश्मदीद गवाहों ने अपीलकर्ता को वही विशिष्ट भूमिका बताई है और घटनाओं को बिना किसी महत्वपूर्ण विसंगतियों के उसी कालानुक्रम में बताया है। हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इस मामले में कई लोग एक समूह में घातक हथियारों के साथ हमला कर रहे हैं और चश्मदीदों द्वारा हर मिनट के विवरण को याद रखने की उम्मीद करना उचित नहीं है।

16. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने टीआईपी की अनुपस्थिति पर बहुत जोर दिया है। इस मामले पर राज्य के वकील का रुख यह था कि टीआईपी को गैर-जरूरी बना दिया गया था क्योंकि

अपीलकर्ता चश्मदीद गवाहों को जानता था और उसे नाम और उपस्थिति दोनों से पहचाना गया था। इस समय हम टीआईपी की प्रकृति और साक्ष्य मूल्य से जुड़े महत्व का उल्लेख कर सकते हैं। मुंशी सिंह गौतम बनाम में. मप्र राज्य (2005) 9 एससीसी 631 न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत ने निर्णय लिखते हुए उचित रूप से निम्नलिखित निर्धारित किया: -

> "**16**. जैसा कि मटरू बनाम यूपी राज्य में इस न्यायालय द्वारा देखा गया था। (1971 (2) एससीसी 75) पहचान परीक्षण ठोस सबूत नहीं बनाते हैं। वे मुख्य रूप से जांच एजेंसी को यह आश्वासन देने में मदद करने के उद्देश्य से हैं कि अपराध की जांच में उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। पहचान का उपयोग केवल अदालत में बयान की पुष्टि के रूप में किया जा सकता है। (देखें संतोख सिंह बनाम इज़हार हुसैन (1973 (2) एससीसी 406)। पहचान परेड आयोजित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब आरोपी गवाहों को पहले से ज्ञात न हो।
>
> **17.**"..... पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आरोपी को परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने या दावा करने का अधिकार प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। . वे ठोस साक्ष्य नहीं बनाते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से संहिता की धारा 162 द्वारा शासित होती हैं। परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता अदालत में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। ऐसी पहचान से जुड़ा महत्व तथ्य न्यायालय के लिए एक मामला होना चाहिए। उपयुक्त मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।"

17. उपरोक्त अनुपात को ध्यान में रखते हुए, हम राज्य वकील से सहमत हैं कि वर्तमान मामले में टीआईपी अनावश्यक थी क्योंकि अपीलकर्ता की पहचान गवाहों को पता थी और उसे विशेष रूप से पीडब्लू1 और पीडब्लू2 द्वारा व्यक्ति के रूप में पहचाना गया था। जिन्होंने तलवार चलाई और चोटें पहुंचाईं. चश्मदीद गवाहों की गवाही में नाम के आधार पर अपीलकर्ता की ऐसी पहचान के सामने, हमारे विचार में, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता के लिए टीआईपी आयोजित करने में विफलता उसकी सजा को प्रभावित नहीं करेगी।

18. उपरोक्त विश्लेषण से, हमलावर समूह के सदस्यों में से एक के रूप में अपीलकर्ता की पहचान और हमले में उसकी विशिष्ट भूमिका संदेह से परे स्थापित हो गई है। हमारे मूल्यांकन में अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के 22.01.1999 की रात को हुए हमले में सभी आरोपियों की साजिश का हिस्सा होने के ठोस सबूत पेश किए हैं, जिसके कारण बालू मंडपे की मौत हो गई और

पीडब्लू1 और अन्य घायल हो गए। इस प्रकार, ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता की सजा को, जैसा कि उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है, गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

19. उपरोक्त निष्कर्ष के परिणाम में, हमें बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला। परिणामस्वरूप, अपील खारिज की जाती है। राज्य अपनी योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता के मामले पर उचित चरण में छूट के लिए विचार कर सकता है। तदनुसार आदेश दिया गया है।

निधि जैन अपील खारिज.

आशीष तिवारी की देखरेख में शिखा पांडे द्वारा अनुवादित।